जिन्होंने हाल ही में हुए लोक-सभा के चुनावों के पश्चात् मत-पत्रों की जांच करने की अनुमति मांगी थी और निर्वाचन आयोग ने उनमें से किन-किन उम्मीदवारों को अनुमति दी थी और किन-किन को नहीं दी थी ;

(ख) इस प्रकार की अनुमति देने या न देने के लिए क्या कसौटी है ; और

(ग) क्या चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि निर्वाचन आयोग की मतपत्र जांच करने की अनुमति देने की शक्ति समाप्त कर दी जानी चाहिए ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) लोकसभा के हाल ही के निर्वाचनों के पश्चात् निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए जिन अभ्यार्थियों को अनुमति दी गई या देने से इंकार किया गया उनके नाम अलग-अलग दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रख दिये गये। देखिए** संख्या एल० टी०---266/71]

(ख) प्रत्येक आवेदन पर उसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया गया। इसलिए इस विषय में अनुमति देने या देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में ऐसे मामलों में निर्वाचन आयोग द्वारा जांच का कोई निश्चित तरीका नहीं अपनाया जा सकता था। फिर भी आयोग ने निरीक्षण के आवेदन उन मामलों में मंजूर कर लिए जिनमें निर्वाचित अभ्यर्थी और उसके बाद अधिकतम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों के बीच अन्तर अधिक नहीं था, जिनमें मतों के बड़े पैमाने पर अनुचित रूप से मंजूर किए जाने या अनुचित रूप से नामंजूर किए जाने के बारे में थे और उनके समर्थन में विश्वसनीय प्रमाण और तथ्य भी मौजूद थे तथा यहां आयोग की राय में ऐसे निरीक्षण से न्याय का पक्ष भी मजबूत हो सकता था और साथ ही मत की गोपनीयता का अतिक्रमण होने की संभावना की नहीं थी। ऐसे निरीक्षण के लिए अनुमति देने से आयोग ने उन मामलों में इन्कार कर दिया जिनमें आयोग को इस बात का विश्वास हो गया कि निरीक्षण की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना के समर्थन में लगाए गए आरोप अत्यन्त तुच्छ तथा सारहीन हैं या छान-बीन के लिए जांच कराने का प्रयत्न करने के लिए लगाए गए हैं। इस सम्बन्ध में यह और बता दिया जाए कि प्रत्येक मामले में, निरीक्षण की अनुमति देने या देने से इन्कार करने वाला आदेश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दो मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रख कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

मतदाताओं को निर्वाचन कार्ड देना

960. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के अनुसार अक्तूबर माह के अन्त तक 12 करोड़ मतदाताओं को तथा शेष 15 करोड़ मतदाताओं को भी शीघ्र ही निर्वाचन कार्ड दिए जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना की रूप रेखा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) चौदह राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां चालू वर्ष के दौरान घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण गहन रूप से किया जा रहा है या जल्दी ही किया जाने वाला है, गृह स्वामियों को निर्वाचन कार्ड दिए जायेंगे। आशा की जाती है कि उन व्यक्तियों की संख्या जिनके नाम निर्वाचक कार्डों में और उसके बाद निर्वाचक-नामावलियों में सम्मिलित किए जायेंगे, लगभग 23 करोड़ तक

पहुंच जाएगी । शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण इस वर्ष के दौरान किया जाएगा । इन शेष रहे राज्यों में निर्वाचक कार्डों की प्रणाली निर्वाचक नामावलियों के अगले गहन पुनरीक्षण के समय प्रारम्भ की जायेगी ।

(ख) स्कीम की मोटी रूप रेखा विवरण में दी गई है ।

विवरण

(i) प्रगणकों को, जो घर-घर जाकर निर्वाचक नामावलियों में नामों का सत्यापन करने के लिए हर सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारी संख्या (चालीस, पचास, साठ या इससे भी अधिक) में लगाए गए हैं ।

(ii) हर घर में सब पात्र व्यक्तियों के अर्थात् उनके नाम, जो 1 जनवरी, 1971 को 21 वर्ष की आयु से कम के नहीं हैं और मामूली तौर से उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं, प्रगणना पुस्तक में सम्मिलित हैं । प्रत्येक घर के लिए प्रगणना-पुस्तक के एक या अधिक पृष्ठ उपयोग में लाए जाते हैं ।

(iii) एक घर के सब पात्र व्यक्तियों के नाम प्रगणना-पुस्तक के पृष्ठ या पृष्ठों पर अभिलिखित कर दिए जाने के बाद, ऐसे पृष्ठ या पृष्ठों पर, प्रगणक के और घर के मुखिया या ज्येष्ठ सदस्य, जो प्रगणना के समय उपस्थित रहा हो, दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं ।

(iv) प्रगणक से अपेक्षा की गई है कि वह एक ही घर पर अनेक बार जाए यदि घर के सब पात्र व्यक्यिों के नामों की सही प्रगणना करने और उन्हें अभिलिखित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो ।

(v) प्रगणना-पुस्तक के उस पृष्ठ या पृष्ठों की प्रतिलिपि जिनमें घर के उन पात्र व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिन्हें निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया जाना हैं, कार्बन कागज की सहायता से स्थल पर ही तैयार की जाती है और वह प्रतिलिपि घर के उस मुखिया या ज्येष्ठ सदस्य को दी जाती है जिसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(vi) घर के मुखिया या ज्येष्ठ सदस्य को दी गई यह द्वितीय प्रतिलिपि, सुविधा के लिए "निर्वाचक-कार्ड" कही गई है । इस प्रणाली का आशय यह है कि सम्बद्ध सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये, उस घर को एक लिखित दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जाये जिसमें उस घर के सब पात्र 'व्यक्तियों' के नाम लिए गए हों ।

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रगणना का कार्य उचित रूप से, सम्पूर्ण रूप से और गहन रूप से किया जाता है, प्रत्येक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चालीस, पचास, साठ या और अधिक प्रगणक नियुक्त किए गये हैं ।

(viii) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रगणकों के कार्य की जांच करने के लिए, भारी संख्या में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गये हैं ।

(ix) पर्यवेक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रगणना-पुस्तक में प्रगणकों द्वारा की गई इतनी प्राविष्टियों की अचानक और आकस्मिक जांच करें

जिसकी की जांच की जा सकती हो। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि सब पात्र व्यक्तियों के प्रगणना-पुस्तक में सही रूप से अभिलिखित कर लिए जाएं।

(x) इसके अतिरिक्त, राज्यों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के माध्यम से सब सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसरो को इस आशय के स्पष्ट और विनिर्दिष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि प्रगणकों की प्रगणना-पुस्तकों से हस्तलिखित निर्वाचक नामावलियां तैयार करते समय प्रविष्टियों की अनुलिपि बनाने में अधिकतम सावधानी और सतर्कता बरती जाए जिससे एक भी नाम, जो प्रगणना-पुस्तको में दिया गया है, भूल या अनवधानता के कारण निर्वाचक नामावलियों से लुप्त न होने पाए।

(xi) पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक सहायता और मदद देने के लिये, इस आशय के निदेश दिए गए है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 14 के अधीन भारी संख्या में अधि कारी पदाभिहित किये जाये जिससे कोई भी व्यक्ति, जो दावा या अपत्ति फाइल करना चाहे, ऐसे पदाभिहित अधिकारी से आवश्यक प्ररूप किसी कठिनाई के बिना प्राप्त कर सके और अपना दावा या आपत्ति भी किसी कठिनाई के बिना उस पदाभिहित अधिकारी के समक्ष फाइल कर सके।

(xii) अन्ततः उप निर्वाचन आयुक्तों और सचिवों जैसे निर्वाचन आयोग के ज्येष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्वयं और सम्बद्ध राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ज्येष्ठ अधिकारी इस बात की जांच और सत्यापन करने के लिए कि प्रगणकों द्वारा प्रगणना-पुस्तकों में प्रविष्टियां कितनी शुद्धता से की जा रही है और प्रगणना-पुस्तकोंकी द्वितीय प्रतियां घरों के मुखियाओं या ज्येष्ठ सदस्यों को दी जा रही हैं या नही, विभिन्न राज्यों में कितने ही ग्रामीण और नागरीय क्षेत्रों का दौरा कर रहे है।

Rail Link from Guna to Shivpuri Madhya Pradesh

961. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE ; Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation to extend rail link from Guna to Shivpuri in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) Representations have been received in the past for extension of the Railway line from Guna to shivpuri.

(b) Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification it is not possible to consider this extension at present.

Train Robbery in 63 UP Asansol-Ranchi Passenger Train

962. SHRI KRISHNA HALDER : Will the Minister of RAILWAYS (RAIL MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the train robbery in 63 Up Asansol-Ranchi passenger train on 3rd April, 1971, if so, the details thereof ;

(b) whether any culprits have been apprehended ; and

(c) the safety measures taken by Government to protect the passengers from such incidents ?